

		1	<p>3.3470</p> <p>बेचेलाल नि.बेलवा मोती के नाम अंकित गाटा स.227/1मि/2.232हे.अकपितधोपित किया जाता है ...ह.अर.के.22.2.08</p> <p>परवाना से - न्यायालय उपजिलाधिकारी घौरहरा - खीरी वाद स.5/20अ.धारा - 143ज.वि.अधि.ग्राम - रसूलपुर पर.व तह.घौर.अदेश दि.06.07.13.यशपाल चौधरी प्रबन्धक यशपाल चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय रसूलपुर बनाम गांव सभा रसूलपुर पर.व तह.घौरहरा उक्त वाद में आदेश हुआ कि खतौनी वर्ष 1410-1415रु.</p> <p>स्थित ग्राम - रसूलपुर पर.व तह.घौरहरा में अंकित खातेदार सं.चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक यशपाल चौधरी पुत्र स्व.बेचेलाल नि.बेलवा मोती के नाम अंकित भूमि गाटा स.227मि/2.332 हे.को अकृषिक घोषित किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दि.30.01.08.हटिपूर्ण</p> <p>होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह.अर.के. 06.07.13</p> <p>परवाना से - न्यायालय उपजिलाधिकारी घौरहरा - खीरी वाद स.140अ.धारा 176.ज.वि.अधि.ग्राम - रसूलपुर पर.व तह.घौरहरा वाद सीधक चौधरी बेचेलाल महा विद्यालय द्वारा प्रबन्धक यशपाल चौधरी बनाम रसीद खी आदि में दि.02.11.13.को आदेश हुआ कि क्षेत्रीय लेखापाल द्वारा दाखिल कुराजात दि.29.10.13.की</p> <p>पुष्टि की जाती है। कुरा नं.1-रंग लाल गाटा स.227/1/2.510हे.ल.63. 65/का 3/4भाग चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय को। कुरा नं.2-रंग नीला गाटा स.227/2/0.837हे.ल.21. 25/का 1/4भाग रसीद खी पुत्र दीना खी नि.गु.ता.ऐरा को दिया जाता है। ह.अर.के. 13.11.13</p> <p>खातेदार रसीद खी पुत्र दीना खी ने अपनी भूमि इलाहाबाद यू.पी.ग्रामीण बैंक साखा सरसवां के पक्ष में मु.149000 में बन्धक दर्ज हो। ह.अर.के.06.08.18</p>
योग			

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद गुस्त/विक्रय/भू-नक्शा/नामानरण बर्ही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आंकड़े मात्र अप्रत्यक्षतार्थ हैं, उक्त विवरण अप्रत्यक्ष है, सर्वोच्च न्यायालय केन्द्र एवम सी.एन.सी./नोकबर्ली केन्द्र से उद्घरण और प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

